

नौवहन मंत्रालय
मांग संख्या 90
नौवहन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1953.23	368.40	2321.63	1955.99	526.57	2482.56	1591.18	545.22	2136.40	2035.00	145.00	2180.00
वसूलियां	...	-214.43	-214.43	...	-260.00	-260.00	...	-293.00	-293.00	...	-60.00	-60.00
प्राप्तियां	-293.98	...	-293.98	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00
निवल	1659.25	153.97	1813.22	1635.99	266.57	1902.56	1271.18	252.22	1523.40	1715.00	85.00	1800.00
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	55.99	...	55.99	60.71	...	60.71	64.62	...	64.62	74.00	...	74.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पत्तनों का विकास												
2. महापत्तनों का विकास	168.32	...	168.32	98.00	...	98.00	107.00	...	107.00
3. लघु पत्तनों का विकास												
3.01 लघु पत्तन	58.29	52.77	111.06	55.38	54.87	110.25	55.38	42.60	97.98	67.50	75.00	142.50
4. तेल प्रदूषण और अनुसंधान एवं विकास	6.00	...	6.00	1.66	...	1.66	1.00	...	1.00
जोड़-पत्तनों का विकास	226.61	52.77	279.38	159.38	54.87	214.25	164.04	42.60	206.64	68.50	75.00	143.50
सागरमाला												
5. सागरमाला												
5.01 सागरमाला स्कीमें और परियोजनाएं	115.72	...	115.72	150.00	...	150.00	98.26	...	98.26	211.00	...	211.00
5.02 सागरमाला के अंतर्गत अन्य स्कीमे	119.37	...	119.37	200.00	...	200.00	82.60	...	82.60	86.00	...	86.00
5.03 सागरमाला विकास कंपनी	...	125.00	125.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
5.04 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना (सीआरआईएफ) निधि को अंतरण	...	125.00	125.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
5.05 सीआरआईएफ से व्यय	...	-125.00	-125.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00
निवल	235.09	125.00	360.09	350.00	200.00	550.00	180.86	200.00	380.86	297.00	...	297.00
पोत और पोत निर्माण,												
6. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	29.12	...	29.12	97.00	...	97.00	42.43	...	42.43	151.00	...	151.00
अंतर्देशीय जल परिवहन												
7. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	364.95	...	364.95	450.00	...	450.00	236.51	...	236.51	301.80	...	301.80

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. आईडब्ल्यूएआई परियोजना												
8.01 ईएपी घटक	370.54	...	370.54	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	270.00	...	270.00
8.02 कार्यक्रम घटक	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
8.03 ईबीआर के तहत ब्याज	76.51	...	76.51	77.00	...	77.00	76.40	...	76.40	76.50	...	76.50
जोड़- आईडब्ल्यूएआई परियोजना	497.05	...	497.05	307.00	...	307.00	306.40	...	306.40	376.50	...	376.50
9. बांग्लादेश को सहायता	8.64	...	8.64	0.01	...	0.01
जोड़-अंतर्देशीय जल परिवहन	870.64	...	870.64	757.00	...	757.00	542.92	...	542.92	678.30	...	678.30
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1361.46	177.77	1539.23	1363.38	254.87	1618.25	930.25	242.60	1172.85	1194.80	75.00	1269.80
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
10. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	8.49	...	8.49	8.60	...	8.60	8.60	...	8.60	9.60	...	9.60
11. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	30.00	...	30.00	0.01	...	0.01
12. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	73.02	...	73.02
13. कोलकाता पत्तन न्यास	155.00	...	155.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	301.90	...	301.90
जोड़-स्वायत्त निकाय	193.49	...	193.49	108.60	...	108.60	181.63	...	181.63	311.50	...	311.50
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
14. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3.52	...	3.52	21.10	...	21.10
अन्य												
15. नौवहन महानिदेशालय	94.22	6.20	100.42	103.30	11.70	115.00	91.16	9.62	100.78	113.60	10.00	123.60
	...	-30.00	-30.00
<i>निवल</i>	94.22	-23.80	70.42	103.30	11.70	115.00	91.16	9.62	100.78	113.60	10.00	123.60
16. दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय												
16.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	248.07	59.43	307.50	320.00	60.00	380.00	320.00	93.00	413.00	320.00	60.00	380.00
16.02 वसूली	...	-59.43	-59.43	...	-60.00	-60.00	...	-93.00	-93.00	...	-60.00	-60.00
16.03 प्राप्तियां	-293.98	...	-293.98	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00
<i>निवल</i>	-45.91	...	-45.91
जोड़-अन्य	48.31	-23.80	24.51	103.30	11.70	115.00	91.16	9.62	100.78	113.60	10.00	123.60
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	241.80	-23.80	218.00	211.90	11.70	223.60	276.31	9.62	285.93	446.20	10.00	456.20
कुल जोड़	1659.25	153.97	1813.22	1635.99	266.57	1902.56	1271.18	252.22	1523.40	1715.00	85.00	1800.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	29.91	...	29.91	97.84	...	97.84	116.04	...	116.04	153.00	...	153.00

	(₹ करोड़)											
	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	479.28	...	479.28	497.98	...	497.98	408.02	...	408.02	621.00	...	621.00
3. नौवहन	124.22	...	124.22	103.30	...	103.30	94.69	...	94.69	134.70	...	134.70
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	870.64	...	870.64	670.36	...	670.36	483.78	...	483.78	628.30	...	628.30
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	55.20	...	55.20	59.87	...	59.87	64.03	...	64.03	72.00	...	72.00
6. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	...	177.77	177.77	...	254.87	254.87	...	242.60	242.60	...	75.00	75.00
7. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	-23.80	-23.80	...	11.70	11.70	...	9.62	9.62	...	10.00	10.00
8. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1559.25	153.97	1713.22	1429.35	266.57	1695.92	1166.56	252.22	1418.78	1609.00	85.00	1694.00
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	86.64	...	86.64	59.14	...	59.14	50.00	...	50.00
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00	45.48	...	45.48	56.00	...	56.00
जोड़-अन्य	100.00	...	100.00	206.64	...	206.64	104.62	...	104.62	106.00	...	106.00
कुल जोड़	1659.25	153.97	1813.22	1635.99	266.57	1902.56	1271.18	252.22	1523.40	1715.00	85.00	1800.00

	(₹ करोड़)											
	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
सहकारी समितियों को उधार												
1. कोचीन बंदरगाह न्यास	...	38.09	38.09	...	46.71	46.71	...	51.22	51.22	...	26.28	26.28
2. पाराद्वीप बंदरगाह न्यास	...	115.99	115.99	...	123.00	123.00	...	110.00	110.00	...	115.00	115.00
3. बोचिदम्बरन बंदरगाह न्यास	...	125.13	125.13	...	535.99	535.99	...	115.18	115.18	...	352.57	352.57
4. जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह न्यास	...	1664.57	1664.57	...	2127.88	2127.88	...	1528.00	1528.00	...	600.00	600.00
5. न्यू मैंगलोर बंदरगाह न्यास	...	50.02	50.02	...	81.90	81.90	...	48.87	48.87	...	26.04	26.04
6. चेन्नई बंदरगाह न्यास	...	61.45	61.45	...	84.00	84.00	...	57.18	57.18	...	83.15	83.15
7. मुम्बई बंदरगाह न्यास	...	228.26	228.26	...	518.42	518.42	...	342.88	342.88	...	330.40	330.40
8. दीनदयाल बंदरगाह न्यास कांडला	...	417.08	417.08	...	711.88	711.88	...	299.99	299.99	...	617.79	617.79
9. मोरमंगांव बंदरगाह न्यास	...	13.42	13.42	...	29.18	29.18	...	41.17	41.17	...	195.79	195.79
10. विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास	...	146.18	146.18	...	131.12	131.12	...	98.55	98.55	...	110.70	110.70
11. कामराजर बंदरगाह न्यास	...	155.97	155.97	...	300.00	300.00	...	117.50	117.50	...	250.00	250.00
12. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	...	110.03	110.03
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	545.65	545.65	...	660.00	660.00	...	620.00	620.00	...	650.00	650.00

												(₹ करोड़)			
		बजट	आं. ब. बा. सं.	जोड़			बजट	आं. ब. बा. सं.	जोड़			बजट	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
		सहायता					सहायता					सहायता			
14.	भारतीय पोत निगम	...	278.70	278.70	...	50.00	50.00	...	200.00	200.00	...	80.00	80.00		
15.	भारतीय तलकर्मण निगम	...	22.69	22.69	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	...	5.00	5.00		
16.	कोलकाता बंदरगाह न्यास	...	83.11	83.11	...	157.71	157.71	...	288.65	288.65	...	272.11	272.11		
17.	सागरमाला विकास कंपनी	125.00	...	125.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00		
जोड़-सहकारी समितियों को उधार जोड़		125.00	4056.34	4181.34	200.00	5577.79	5777.79	200.00	3929.19	4129.19	...	3714.83	3714.83		
		125.00	4056.34	4181.34	200.00	5577.79	5777.79	200.00	3929.19	4129.19	...	3714.83	3714.83		

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।

3. **लघु पत्तों का विकास:** इसमें अंडमान, लक्षद्वीप, हार्वर वर्क्स, नौवहन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय को सहायता शामिल है।

4. **तेल प्रदूषण और अनुसंधान एवं विकास:** यह प्रावधान अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के व्यय के लिए है।

5. **सागरमाला:** यह प्रावधान तटीय समुदाय के विकास के लिए है, समुद्र / राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कार्गो / यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सहायता, अनूठी नवाचार परियोजनाओं का वित्तपोषण के लिए सहायता। सागरमाला कार्यक्रम के तहत पहचाने जाने वाले इस परियोजना से बुनियादी ढाँचे के निवेश में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटने, मॉडल मिश्रण में घरेलू जलमार्ग (अंतर्देशीय और तटीय) का डबल हिस्सा, लॉजिस्टिक कोस्ट मैनिंग उत्पन्न करने, माल निर्यात को बढ़ावा देने और नई नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है।

6. **पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए अनुदान देने के लिए है। इसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों शिपयार्ड को छोड़कर सभी भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी शामिल है।

7. **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को अक्टूबर, 1986 में जहाजरानी और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और नियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था। आईडब्ल्यूएआई मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के बुनियादी ढाँचे के विकास और विनियमन का कार्य करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

8. **आईडब्ल्यूएआई परियोजना:** यह प्रावधान अंतर्देशीय जलमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ई ए पी चार मुख्य परियोजनाएँ के लिए - (i) एमएमटी, वाराणसी के निर्माण की चार उप-परियोजनाओं का कार्यान्वयन और कमीशन है; (ii) एमएमटी, साहिबगंज में निर्माण; (iii) फराक्का में नेविगेशन लॉक; और (iv) एमएमटी का निर्माण, हल्दिया और जेएमवीपी के तहत अन्य अधीनस्थ परियोजनाएँ।

10. **महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** ये प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान हैं।

13. **कोलकाता पत्तन न्यास:** यह कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया जलमार्ग और हुगली नदी में अनुरक्षण और तलकर्मण हेतु सस्मिडी के भुगतान के लिए है।

14. **शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** भारत में मालदीव और मालदीव-कोचीन-तूतीकोरिन-माले के बीच मालदीव द्वारा यात्री और यात्री सेवाओं की स्थापना के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

15. **नौवहन महानिदेशालय:** यह प्रावधान नौवहन महानिदेशालय जो मचेंट नौवहन अधिनियम, 1958 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है, के स्थापना व्यय के लिए है। यह मचेंट नौवहन विधियों से संबंधित सभी मामलों के लिए विनियामक कार्य करता है। यह निदेशालय नाविकों के कल्याण का कार्य भी करता है। यह प्रावधान समुद्री आपातकालीन निधि तथा डीजी नौवहन ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व्यय जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है, के प्रशासन के लिए भी है।

16. **दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय:** दीपस्तंभ और दीपपोत संगठन सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो दीपपोत, ध्वनि संकेत, बायोज, रेडिओ संकेत आदि जैसे नौसंचालन सहायता प्रदान करता है। यह दीपस्तंभों के निर्माण और अनुरक्षण तथा पोतों के मार्गनिर्देशक का कार्य भी करता है। पूंजीगत प्रावधान दीपस्तंभों और अन्य नौसंचालन साधनों का निर्माण और विकास के लिए है। इसे भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार संग्रही दीप शुल्कों से पूरा किया जाता है। व्यय वसूली और प्राप्तियों से पूरा किया जाता है।